

# कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग कोटा

क्रमांक :स्टोर/बोली सूचना/03/2020-21/3201

दिनांक 22.03.2021

## बोली निरस्तीकरण आदेश

समेकित बाल विकास सेवाए, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 26(4)(45)PSK/IEC/ ICDS/18795-827 दिनांक 03.02.2021 के तहत प्री-स्कूल किट सामग्री क्रियाशील आंगनवाडी केन्द्रों पर मुख्य आंगनवाडी केन्द्रों तथा मिनी आंगनवाडी केन्द्रों के लिए ईप्रोक्योरमेंट विड सूचना संख्या-03/2020-21 (पत्रांक 3024 दिनांक 08.03.2021) NIB Code ICD2021A0125, UBN No. ICD2021GLOB00114 की RTPP नियम-56 के तहत तकनीकी बोलियों के अर्हता तुलनात्मक मूल्यांकन विवरण का अवलोकन पश्चात बोलीदाता फर्म शकुन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, आगरा (यूपी) एवं चामुण्ड ट्रेडिंग कम्पनी बयाना (भरतपुर) बोलीदाताओं की तकनीकी विड में वांछित तकनीकी पात्रता को पूर्ण नहीं कर पाने के कारण उक्त ई-प्रोक्योरमेंट विड प्रक्रिया को आरटीपीपी नियम-57(2) के तहत उपापन समिति द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया जाकर उक्त बोली को निरस्त किया जाता है।

(कृष्णा देवी)

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग  
कोटा

क्रमांक :स्टोर/बोली सूचना/03/2020-21/3202-06 दिनांक 22.03.2021  
प्रतिलिपि

1. श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाए, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान एनालिस्ट कमप्रोग्रामर, समेकित बाल विकास सेवाए, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. शकुन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, आगरा (यूपी)।
4. चामुण्ड ट्रेडिंग कम्पनी बयाना (भरतपुर)
5. लेखा/स्टोर को भेजकर लेख है कि उक्त बोली निरस्तीकरण आदेश राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर एवं ई-प्रोक्योरमेंट पर प्रकाशित करवाने हेतु।

(कृष्णा देवी)

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग  
कोटा